

अध्याय II

लेखापरीक्षा अधिदेश, लेखापरीक्षा समष्टि और लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया

2.1 लेखापरीक्षा अधिदेश

भारत के संविधान का अनुच्छेद 149 यह प्रावधान करता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी), संघ और राज्यों तथा अन्य किसी प्राधिकार या निकाय, संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन निहित किया जाए, के लेखाओं के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन्हें संसद ने 1971 में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का डीपीसी अधिनियम (सीएजी का डीपीसी अधिनियम) पारित किया। सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 16 सीएजी को भारत सरकार, सभी राज्य सरकारों और विधानपरिषद वाली सभी केन्द्र शासित प्रदेशों की सभी प्राप्तियों के लेखापरीक्षा तथा स्वयं को संतुष्ट करने के लिए कि निर्धारण, संग्रहण और राजस्व के उचित आवंटन पर प्रभावी जांच को सुरक्षित करने के लिए नियम और प्रक्रियाएं बनाई गई हैं और उन्हें विधिवत देखा जा रहा है, के लिये अधिकृत करता है। लेखापरीक्षा और लेखों पर विनियम (संशोधन), 2020 प्राप्त लेखापरीक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित करते हैं।

2.1.1 प्रणालियों और प्रक्रियाओं की जांच और उनकी प्रभावकारिता

प्राप्ति लेखापरीक्षा में मुख्यतः प्रणालियों और प्रक्रियाओं और उनकी प्रभावकारिता की जांच शामिल हैं:

- क. संभावित कर निर्धारिती की पहचान, नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ अपवंचन का पता लगाना और उसकी रोकथाम;
- ख. दंड की उगाही और अभियोजन पक्ष की शुरुआत सहित उचित माध्यम से विवेकाधिकारी शक्तियों का प्रयोग;
- ग. अपीलीय अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों पर सरकार के हित को सुरक्षित करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही;
- घ. राजस्व प्रशासन को सशक्त और सुधारने के लिए प्रस्तुत किये गये कोई मापदंड;

- ड. राजस्व जो बकाया हो सकता है बकाया के दस्तावेजों का अनुरक्षण और बकाया में राशि की वसूली के लिए की गई कार्यवाही;
- च. उचित परिश्रम के साथ दावों की जांच करना और यह सुनिश्चित करना कि पर्याप्त कारण और उचित प्राधिकरण को छोड़कर इन्हें त्याग दिया या घटाया न जाए।

2.1.2 अप्रत्यक्ष करों की लेखापरीक्षा

अप्रत्यक्ष कर प्रणाली एक स्वयं-निर्धारण प्रणाली है जिसमें करदाता स्वयं अपनी विवरणियां तैयार करते हैं और विभाग को प्रस्तुत करते हैं। इस प्रणाली को राजकोषीय विधि जिसमें माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017, माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 और विरासतीय कर अधिनियमों अर्थात केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और वित्त अधिनियम, 1994 द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। अप्रत्यक्ष कर प्रशासन, प्रारंभिक संवीक्षा, विस्तृत संवीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा आदि वे माध्यम से विवरणियों की संवीक्षा करता है और करदाता द्वारा जमा किए गए कर की यथार्थता को सुनिश्चित करता है।

अप्रत्यक्ष कर प्रशासन की प्रणालियों और प्रक्रियाओं की प्रभावकारिता की जांच करने के लिए बोर्ड की कार्यात्मक शाखा और विभिन्न क्षेत्र संरचनाओं के अभिलेखों के साथ-साथ सीएजी, निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत विवरणी से संबंधित अभिलेखों की जांच करता है।

2.2 लेखापरीक्षा समष्टि

लेखापरीक्षा समष्टि में राजस्व विभाग, सीबीआईसी, उसके सहयोगी संगठन और क्षेत्र संरचनाएं शामिल हैं। सीबीआईसी के संरचनात्मक ढांचे और विभागीय इकाइयों की संख्या की चर्चा इस प्रतिवेदन के पैरा 1.2 में की गई है। सीबीआईसी और उसकी क्षेत्र संरचना की भूमिकाओं और कर्तव्यों की चर्चा आगामी पैराग्राफ में की गई है।

2.2.1 सीबीआईसी

वित्त मंत्रालय में अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क का केन्द्रीय बोर्ड, भारतीय संघ के अप्रत्यक्ष करों के उदग्रहण और संग्रहण के प्रशासन के लिए एक शीर्ष निकाय है। यह अप्रत्यक्ष करों के करारोपण व संग्रह, तस्करी की रोकथाम और अप्रत्यक्ष करों और सीबीआईसी के क्षेत्रांगत नशीले पदार्थों के संदर्भ में प्रशासनिक मामलों के नीति निर्धारण का कार्य करता है। सीबीआईसी का एक अध्यक्ष और इसमें चार सदस्य होते हैं।

2.2.2 जोन

जोन लेखापरीक्षा योग्य उच्चतम क्षेत्रीय स्तर होते हैं जिनकी अध्यक्षता प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त द्वारा की जाती है। जोन के प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त जोन में सभी कमिश्नरियों के तकनीकी और प्रशासनिक कार्यों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखते हैं। वे जोन में प्रत्येक कमिश्नरी द्वारा राजस्व संग्रहण की निगरानी और अधिनियमों/नियमों और समय-समय पर जारी बोर्ड के अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उचित कार्यान्वयन करते हैं।

2.2.3 कमिश्नरियां

कमिश्नरियां तीन वर्गों अर्थात् कार्यपालक कमिश्नरियां, कमिश्नरियां (लेखापरीक्षा) और कमिश्नरियां (अपील) में विभाजित होती हैं।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर कमिश्नरी (कार्यपालक कमिश्नरी) का प्राथमिक कार्य, केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944, इन अधिनियमों के तहत बनाए गए नियमों और संसद के अन्य समबद्ध अधिनियमों जिनमें जीएसटी/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का उदग्रहण और संग्रहण किया जाता है, के प्रावधानों का कार्यान्वयन करना है। प्रशासनिक तौर पर प्रत्येक कमिश्नरी में एक तीन-स्तरीय ढांचा, प्रथम स्तर पर उसके मुख्यालय, द्वितीय स्तर पर चार से छः प्रभाग और तीसरे और अंतिम स्तर पर प्रत्येक प्रभाग के तहत औसतन चार से सात रैंज होती है।

प्रत्येक जोन में एक या अधिक लेखापरीक्षा कमिश्नरियां हो सकती हैं जिनका आयुक्त (लेखापरीक्षा) अध्यक्ष होता है। लेखापरीक्षा कमिश्नरी का मुख्य कार्य है, उसके क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले करदाताओं का आंतरिक लेखापरीक्षा

करना, निगरानी समिति सभाओं का आयोजन करना, निर्धारितियों के विरुद्ध केस का अनुसरण करने में कार्यपालक आयुक्त की सहायता करना आदि।

आयुक्त (अपील), एक अपीलिय प्राधिकारी के तौर पर कार्य करता है और आयुक्त रैंक के निचले प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए सभी अधिनिर्णयन आदेशों के संबंध में अपीलों पर आदेश पारित करता है।

2.2.4 डिवीजन

प्रत्येक कार्यपालक कमिश्नरी में चार से छः डिवीजन होते हैं जिनकी अध्यक्षता उप/सहायक आयुक्त करते हैं। डिवीजन प्रमुख उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विधियों और प्रक्रियाओं के उचित अनुपालन के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे, अनंतिम निर्धारण, छूट/प्रतिदाय दावों की स्वीकृति और अर्ध-न्यायिक कार्य करने अर्थात् उनके कार्यनिर्वाह क्षमता के अंतर्गत आने वाले मामलों के अधिनिर्णयन के लिए भी जिम्मेदार होते हैं।

2.2.5 रेंज

प्रत्येक डिवीजन में औसतन चार से सात रेंज होंगी। रेंज का प्रमुख अधीक्षक होता है जो व्यापार और उद्योग तथा विभाग के बीच सूचना का प्रथम कार्यालय होता है। निर्धारण की संवीक्षा, निर्धारितियों द्वारा दायर किए गए निर्दिष्ट विवरणी के आधार पर रेंज द्वारा की जाती है। रेंज अधिकारी, निर्धारण कार्य के अतिरिक्त करदाताओं द्वारा दायर की गई वैधानिक घोषणाओं की यर्थाथता को भी जांचते हैं।

2.3 लेखापरीक्षा नमूना

2018-19 और 2019-20 के दौरान हमारे द्वारा लेखापरीक्षित विभागीय इकाईयों का विवरण चार्ट 2.1 में दर्शाया गया है, जो इस प्रकार है:

चार्ट सं. 2.1: लेखापरीक्षा समष्टि और नमूना

वि.व. 19			वि.व. 20		
लेखापरीक्षित इकाई	समष्टि	नमूना	लेखापरीक्षित इकाई	समष्टि	नमूना
जोन	21	19 (90%)	जोन	21	18 (86%)
कमिश्नरियां	111	71 (64%)	कमिश्नरियां	111	68 (61%)
डिविजन	753	263 (35%)	डिविजन	753	261 (35%)
रेंज	3912	1007 (26%)	रेंज	3912	1016 (26%)
अन्य इकाईयां*	280	149 (53%)	अन्य इकाईयां	287	134 (47%)
कुल	5077	1509 (30%)	जोड़	5084	1497 (29%)

* अन्य इकाईयों में लेखापरीक्षा कमिश्नरियां, अपील कमिश्नरियां, वेतन तथा लेखा कार्यालय, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, महानिदेशक जीएसटी आसूचना, एडीजी (लेखापरीक्षा) आदि शामिल हैं।

जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, हमने 2018-19 और 2019-20 के दौरान, क्रमशः 5077 इकाईयों में से 1509 इकाईयां (30 प्रतिशत) और 5,084 इकाईयों में से 1,497 इकाईयां (29 प्रतिशत) की लेखापरीक्षा की।

2.4 लेखापरीक्षा प्रयास और लेखापरीक्षा उत्पाद

जीएसटी और विरासतीय अप्रत्यक्ष कर की अनुपालन लेखापरीक्षा महानिदेशक (डीजी)/प्रधान निदेशक (पीडी) की अध्यक्षता में हमारे नौ क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की गई।

जीएसटी लेखापरीक्षा में, अक्टूबर 2018 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान हमने 81 केन्द्रीय जीएसटी कमिश्नरियां और पांच लेखापरीक्षा कमिश्नरियां में 77,363 ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों में से 5,822 ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों की जांच की। हमने ₹ 543.70 करोड़ की मूल्य राशि के साथ अननुपालन/चूक के 1,182 मामले (20 प्रतिशत) पाये। इन 1,182 मामलों में से इस प्रतिवेदन में हमने 62 ड्राफ्ट पैराग्राफ को शामिल किया जिनमें ₹ 86.11 करोड़ के मौद्रिक प्रभाव वाली 105 महत्वपूर्ण अभ्युक्तियां शामिल हैं। इसी प्रकार, उक्त अवधि के दौरान हमने 33 सीजीएसटी कमिश्नरियां में 23,106 प्रतिदाय मामलों में से 4,736 प्रतिदाय मामलों से संबंधित अभिलेखों की जांच की। हमने 280 दावों (6 प्रतिशत) में प्रतिदायों के प्रसंस्करण में वर्तमान प्रावधानों के अननुपालन को पाया जिसमें ₹ 16.16 करोड़ की राशि शामिल थी। इनमें से इस प्रतिवेदन में

₹ 8.26 करोड़ के मौद्रिक प्रभाव वाली 25 महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों वाले 07 ड्राफ्ट पैराग्राफों को शामिल किया। इसके साथ ही इस प्रतिवेदन में ₹ 6.77 करोड़ के मौद्रिक प्रभाव वाली जीएसटी लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई अन्य अनियमितताओं से संबंधित 08 ड्राफ्ट पैराग्राफों को शामिल किया गया है। जीएसटी की अनुपालन लेखापरीक्षा से संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को इस प्रतिवेदन के अध्याय IV में शामिल किया गया है।

2018-19 के दौरान, हमने 827 रेंजों में 2939 निर्धारितियों के अभिलेखों का चयन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के निर्धारण और भुगतान के संबंध में विस्तृत जांच के लिए किया। इसी प्रकार 2019-20 के दौरान, हमने 451 रेंजों में विस्तृत जांच के लिए 1,471 निर्धारितियों के अभिलेखों का चयन किया। हमने ₹ 1,036.35 करोड़ के मौद्रिक प्रभाव वाली 2,712 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को उठाया। हमने इस प्रतिवेदन में, ₹ 472.30 करोड़ के मौद्रिक प्रभाव वाले 146 ड्राफ्ट पैराग्राफों को शामिल किया। इसके अतिरिक्त, इस प्रतिवेदन में हमने 2017-18 की अवधि से पूर्व की अवधि के संबंध में ₹ 667.71 करोड़ के मौद्रिक प्रभाव वाले 66 ड्राफ्ट पैराग्राफों को भी शामिल किया। विरासतीय कर (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर) से संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को इस प्रतिवेदन से अध्याय VI में शामिल किया गया है।

इसके अतिरिक्त, हमने जीएसटीएन²³ की आईटी लेखापरीक्षा और एससीएन तथा अधिनिर्णयन प्रक्रिया पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा को पूर्ण किया। आईटी लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को अध्याय III में शामिल किया गया है तथा 'एससीएन और अधिनिर्णयन प्रक्रिया' पर अभ्युक्तियों को इस प्रतिवेदन के अध्याय V में शामिल किया गया है।

²³ चरण-II

2.5 सीएजी की लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया

स्थानीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एलएआर)²⁴ में शामिल बड़ी संख्या में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों, विभाग द्वारा अनुपालन के लिए लंबित हैं। 31 मार्च 2020 को, 10,489 एलएआर से संबंधित 29,496 पैरा अनुपालना के लिए लंबित हैं। पैरा के लंबित होने का एक मुख्य कारण विभाग की ओर से उत्तर की कमी और उत्तर में देरी है। हमने इस संबंध में, 31 मार्च 2019 को लंबित पैराओं का एक विस्तृत अध्ययन किया, जिसका परिणाम आगे के पैरा में प्रस्तुत किया गया है।

2.5.1 स्थानीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एलएआर) के संबंध में प्रावधान

हम लेखापरीक्षा के विभिन्न चरणों में लेखापरीक्षित सत्वों से हमारी अभ्युक्तियों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं। क्षेत्रीय लेखापरीक्षा की समाप्ति पर सीएजी के लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम (संशोधन), 2020 के विनियम 136 के प्रावधानों के अनुसार, हम टिप्पणी के लिए विभागों को स्थानीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एलएआर) जारी करते हैं।

बोर्ड की परिपत्र सं. 1023/11/2016/सीएक्स दिनांक 8 अप्रैल 2016, सीएजी लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के साथ व्यवहार के लिए प्रक्रिया के विषय में बताता है और उसकी क्षेत्र संरचनाओं को निर्देशित करते हैं कि स्थानीय लेखापरीक्षा पैराग्राफों का जवाब तीस दिनों के अंदर दिया जाए। यह परिपत्र जोन को लंबित एलएआर पैराग्राफों पर चर्चा और निपटान करने के लिए लेखापरीक्षा के साथ त्रैमासिक समन्वय बैठक करने का भी प्रावधान करता है।

विनियम 137 से 152 के प्रावधानों के अनुसार, हमने लंबित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की निगरानी और अनुपालन और समाधान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कमिशनरियों के प्रमुख को महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को जांच करने के लिए भेजना, जोन के प्रमुखों को महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों

²⁴ स्थानीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट, प्रत्येक लेखापरिक्षिती विभागीय इकाई को क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा भेजी जाती है। उनके जवाब के आधार पर महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किया जाता है तथा संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

का आदान-प्रदान, लेखापरीक्षा समिति बैठक का आयोजन आदि जैसे कदम उठाए।

2.5.2 लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र और नमूना

हमने 31 मार्च 2019 को लंबित, एलएआर पैरा पर विभाग के जवाबों की स्थिति की जांच की। 109 कमिश्नरियों में से 49 कमिश्नरियों²⁵ का लेखापरीक्षा के लिए चयन किया गया। विस्तृत जांच के लिए कमिश्नरियों में बकाया पैरों के नमूने का चयन दो श्रेणियों के तहत किया गया:


- (i) जहां लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई।
- (ii) जहां लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर प्रतिक्रिया देरी से प्राप्त हुई।

2.5.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लंबित एलएआर पैराओं के विश्लेषण से पता चला कि, पूरे भारत में, 109 कमिश्नरियों में, 31 मार्च 2019 तक, ₹ 19,970.81 करोड़ के कर प्रभाव वाले 26,113 ऑडिट पैरा लंबित थे। इनमें से विभाग 13,475 लेखापरीक्षा पैरा अर्थात् 51.60 प्रतिशत (₹ 12,017.18 करोड़ के कर प्रभाव वाले) में प्रथम प्रतिक्रिया देने में विफल रहा और 10,351 लेखापरीक्षा पैराओं (39.64 प्रतिशत) का जवाब देरी से दिया। इस प्रकार, केवल 2,287 मामलों में (8.76 प्रतिशत), विभाग ने तय की गई 30 दिन की सीमा के अंदर प्रथम प्रतिक्रिया दी।

चार्ट 2.2 स्थानीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल लेखापरीक्षा पैराग्राफ की प्रथम प्रतिक्रिया की स्थिति की व्याख्या करता है।

²⁵ अगरतला, अहमदाबाद दक्षिण, इलाहाबाद, बेंगलुरु पूर्व, बेंगलुरु उत्तर-पश्चिम, बेंगलुरु दक्षिण, बेंगलुरु पश्चिम, बेलापुर, चेन्नई उत्तर, चेन्नई आउटर, चेन्नई दक्षिण, दिल्ली-पूर्व, दिल्ली-पश्चिम, डिब्रूगढ़, गांधीनगर, गाजियाबाद, गोवा, गुरुग्राम, गुवाहाटी, हल्दिया, हावड़ा, इंदौर, जयपुर, जालंधर, जमशेदपुर, कोच्चि, कोलकाता दक्षिण, कच्छ/गांधीधाम, लखनऊ, लुधियाना, मदुरै, मेरठ, मुंबई पूर्व, मुंबई दक्षिण, नागपुर-1, नासिक, नवी मुंबई, पालघर, पटना I, पुणे II, रायगढ़, रायपुर, रांची-I, रोहतक, शिलांग, सूरत, तिरुवनंतपुरम, उदयपुर।




लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की पर्याप्त प्रतिक्रियाशीलता की कमी के कारणों का निर्धारण करने और लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई को सुनिश्चित करने के लिए, हमने एलएआर पैरा के नमूने की विस्तृत जांच की, जैसा पैरा 2.3.3 में कहा गया है।

2.5.4 एलआर पैरा जहां विभाग ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया

कुल 26,113 लंबित लेखापरीक्षा पैरा में से, 109 कमिश्नरियों में, 31 मार्च 2019 तक 13,475 पैरा (51.60 प्रतिशत) में विभाग से प्रथम जवाब प्राप्त नहीं हुआ था।

पैराओं का समय-वार विश्लेषण, जहां विभाग से जवाब प्राप्त नहीं हुए हैं, चार्ट 2.3 में नीचे दिया गया है:



जैसा कि उपरोक्त चार्ट 2.3 से प्रमाणित है, ₹ 8,660.17 करोड़ के कर प्रभाव वाले 6,474 (48.04 प्रतिशत) पैराओं में उत्तर तीन वर्ष से ज्यादा के लिए लंबित थे, जो लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के जवाब देने में विभाग के अभाववादी दृष्टिकोण को दर्शाता हैं।

इसके अतिरिक्त, हमने नियत समय की समाप्ति के बावजूद लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया की विभागीय विफलता के कारणों का विश्लेषण किया और विस्तृत जांच के लिए 1,012 लेखापरीक्षा पैरा के नमूने एकत्रित किए और यह पाया कि:

(क) इन 1,012 पैराओं जहां प्रथम जवाब प्राप्त नहीं हुआ था, में से 547 मामलों (54 प्रतिशत) में, विभाग क्षेत्र दौरे के दौरान सत्यापन के लिए केस फाइल प्रस्तुत करने में विफल रहा।

लेखापरीक्षा को अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण के कारण 172 मामलों (31 प्रतिशत) में अभिलेखों के पता लगाने की अक्षमता, 127 मामलों (23 प्रतिशत) में अधीनस्त क्षेत्रीय संरचनाओं से बहुप्रतिक्षित अभिलेख और 117 मामलों (21 प्रतिशत) में पुर्नगठन के चलते अभिलेखों का अन्य कमिशनरियों को हस्तांतरण थे। 131 मामलों में, लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण के लिए कोई कारण नहीं दिए गए थे।


(ख) 465 पैरा से संबंधित शेष केस फाइलों, जो लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए थे, में से:

- (i) हमने देखा कि 162 लेखापरीक्षा पैरा (34.84 प्रतिशत) के संबंध में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। इन 162 मामलों में से ₹ 13.62 करोड़ के 47 मामले (29 प्रतिशत) पांच वर्ष से अधिक पुराने थे और इस प्रकार कार्यवाही करने के लिए समय बाधित हैं। लेखापरीक्षा को प्रस्तुत अभिलेखों में कार्यवाही न करने के कारण उपलब्ध नहीं थे।
- (ii) हमने यह देखा कि 158 मामलों (34 प्रतिशत) में यद्यपि विभाग द्वारा कार्यवाही की गई थी लेकिन उसे लेखापरीक्षा को सूचित नहीं

किया गया था। कार्यवाही न बताने के कारण लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किए गए थे।

- (iii) 67 मामलों (14 प्रतिशत) में, हमने यह पाया कि विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का जवाब नहीं दिया क्योंकि निर्धारिती से स्पष्टीकरण/प्रतिक्रिया की आवश्यकता थी जो लंबे समय से प्रतिक्षित थी।
- (iv) 58 मामलों (13 प्रतिशत) में, हमने यह पाया कि विभाग ने एलएआर पैराओं पर प्रतिक्रिया नहीं दी थी क्योंकि निचली क्षेत्रीय संरचनाओं से एलएआर पैराग्राफों की प्रतिक्रिया के लिए मांगे गए जवाब प्रतिक्षित थे।
- (v) शेष 20 मामलों (4 प्रतिशत) में, विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत किए गए थे, हालांकि, ये क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय में प्राप्त नहीं हुए थे।


चार्ट 2.4 मामलों की जांच के परिणामों को दर्शाता है जहां विभाग ने जवाब नहीं दिया।



हमने इसके बारे में अगस्त 2020 में बताया। मंत्रालय का जवाब प्रतिक्षित है (दिसंबर 2020)।

2.5.5 एलएआर पैरा जहां विभाग ने देरी से जवाब दिया

31 मार्च 2019 तक, 109 कमिश्नरियों से संबंधित कुल 26,113 लंबित लेखापरीक्षा पैरा में से 10,351 पैरा (39.63 प्रतिशत) में विभाग से प्रथम जवाब देरी से प्राप्त हुआ। जवाब में देरी 01 महीने से 3 वर्ष से अधिक के बीच थी जैसा नीचे चार्ट 2.5 में दर्शाया गया है:



लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की प्रतिक्रिया की देरी के लिए कारणों के विश्लेषण के लिए, हमने 49 कमिश्नरियों में 1,137 एलएआर लेखापरीक्षा पैराओं की जांच की। जांच के परिणाम नीचे दिए गए हैं:

(क) इन 1,137 पैराओं में से, जहां प्रथम जवाब देरी के साथ प्राप्त हुआ, 430 मामलों (38 प्रतिशत) में, विभाग, क्षेत्र दौरे के दौरान सत्यापन के लिए केस फाईल प्रस्तुत करने में विफल रहा।

लेखापरीक्षा को अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण के कारण 80 मामलों (19 प्रतिशत) में अभिलेखों के पता लगाने में अक्षमता, 236 मामलों (55 प्रतिशत) में अधीनस्थ क्षेत्रीय संरचनाओं के बहुप्रतिक्षित अभिलेख और 31 मामलों (7 प्रतिशत) में पुर्नगठन के चलते अभिलेखों का अन्य कमिश्नरियों को हस्तांतरण थे। 83 मामलों (19 प्रतिशत) में, लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण के लिए कोई कारण नहीं दिए गए थे।

(ख) 707 पैराओं से संबंधित शेष केस फाइलों में से, जो लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए थे, हमने प्रतिक्रिया में देरी के लिए कारणों की जांच की और निम्नानुसार पाया:

(i) 164 मामलों (23.20 प्रतिशत) में, यह पाया गया कि विभाग को निर्धारितियों से स्पष्टीकरण/प्रतिक्रिया की आवश्यकता थी जो विलम्बित थी।

(ii) 33 मामलों (4.67 प्रतिशत) में अधीनस्थ क्षेत्रीय संरचना जैसे कि डिविजन/रेंज से जवाब विलम्बित थे।

(iii) 510 मामलों (72.14 प्रतिशत) में अभिलेखों में देरी का कोई कारण नहीं पाया गया।

हमने इसके बारे में अगस्त 2020 में बताया। मंत्रालय का जवाब प्रतिक्षित है (दिसंबर 2020)।

2.5.6 लेखापरीक्षा समिति बैठक में चर्चा किए गए पैराओं के लिए विभाग द्वारा अपर्याप्त प्रतिक्रिया

लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम (संशोधन), 2020 का विनियम 145 यह बताता है कि सरकार लंबित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने और उनके निपटान के उद्देश्य के लिए लेखापरीक्षा समिति स्थापित करें। ऐसे स्थापित की गई प्रत्येक समिति में लेखापरीक्षा योग्य सत्व के विभागाध्यक्ष के अलावा प्रशासनिक विभाग, लेखापरीक्षा, वित्त विभाग से नामांकित सदस्य, प्रत्येक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेखापरीक्षा समिति की बैठक के कार्यवत को दर्ज किया जाएगा।

लंबित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के निपटान के लिए समय-समय पर विभाग के साथ लेखापरीक्षा समिति बैठक (एसीएम) की योजना बनाई गई और आयोजित की गई। पिछले चार वर्षों के दौरान विभिन्न जोन के तहत कमिश्नरियों के साथ की गई लेखापरीक्षा समिति बैठकों का विवरण को नीचे दिया गया है:-

तालिका सं. 2.1: लेखापरीक्षा समिति बैठकें (एसीएम)

वर्ष	की गई एसीएम की संख्या	एसीएम में चर्चा किए गए पैराओं की संख्या, जहां विभागीय कार्यवाही प्रतिक्षित थी	एसीएम में चर्चाओं/आश्वासनों के बावजूद पैराओं की संख्या जहां कार्यवाही/जवाब प्राप्त नहीं हुआ	पैराओं की संख्या जहां जवाब प्राप्त हुआ	विभाग की % प्रतिक्रिया
2015-16	74	5846	2472	3374	57.71
2016-17	75	9102	3479	5623	61.78
2017-18	69	6796	3274	3522	51.82
2018-19	68	7331	3550	3781	51.58
कुल	286	29075	12775	16300	56.06

विभाग को, विभिन्न जोन के तहत आने वाली कमिशनरियों के साथ एसीएम के आयोजन द्वारा लंबित आपत्तियों के जवाब उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त अवसर दिया गया था। यद्यपि, पिछले चार वर्षों के दौरान लेखापरिक्षिति इकाईयों के साथ लेखापरीक्षा समिति बैठक की योजना बनाई गई और आयोजन किया गया लेकिन लेखापरिक्षिती संगठनों से परिणाम/प्रतिक्रिया सीमित था। विभाग ने बैठकों के दौरान चर्चा किए गए केवल 56.06 प्रतिशत पैराओं का ही जवाब दिया था।

हमने अगस्त 2020 में इस विषय में बताया। मंत्रालय का जवाब प्रतिक्षित है (दिसंबर 2020)।

2.5.7 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

31 मार्च 2019 तक एलएआर में अनुपालन के लिए अधिक संख्या में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां लंबित थी। इन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के लिए विभाग की अनिरंतर और ठोस प्रतिक्रिया न होने के परिणामस्वरूप लंबित पैरा का लगातार संचय हुआ। विभाग ने 31 मार्च 2019 तक लंबित एलएआर लेखापरीक्षा पैराओं के 52 प्रतिशत (13,477) का जवाब प्रस्तुत नहीं किया था, जो लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के जवाब देने में विभाग के अभाववादी दृष्टिकोण को दर्शाता है।

2.5.8 सिफारिशें

- विभाग सीबीआईसी क्षेत्रीय संरचनाओं में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर अनुपालन की निगरानी के लिए एक व्यापक डाटाबेस का विकास करे।
- विभाग, लेखापरीक्षा के साथ एक ऑनलाईन इंटरफेस का निर्माण करे जिसमें प्रणाली के माध्यम से सभी लेखापरीक्षा पैराओं की प्रतिक्रिया दी जाए और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के माध्यम से लंबित होने का पता लगाया जा सके। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर की गई उपचारात्मक कार्यवाही की निगरानी हेतु बोर्ड स्तर पर आवधिक रिपोर्ट की एक प्रणाली स्थापित की जा सकती है।
- फाइले जिनका पता नहीं लगाया जा सकता है, को ढूंढा जाए और सभी मामलों में उचित सुधारात्मक कार्यवाही की जाए।
- वह एलएआर पैरा, जो लंबित हैं, की विभाग द्वारा समीक्षा और अनुवर्ती कार्रवाई की जाये और बिना किसी देरी के लेखापरीक्षा को प्रतिक्रिया भेजी जाये।

2.6 सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

पिछले पांच लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वर्तमान वर्ष का प्रतिवेदन भी शामिल) में, हमने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और माल तथा सेवा कर से संबंधित ₹ 3,631.13 करोड़ के 1,322 लेखापरीक्षा पैराओं को शामिल किया। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर अनुवर्ती कार्रवाई के विवरण को तालिका 2.2 में शामिल किया गया है।

तालिका 2.2: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

(राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष		विव 15	विव 16	विव 17	विव 18	विव 19 एवं विव 20	कुल
शामिल पैराग्राफ	सं.	231	255	300	239	297	1322
	राशि	534.37	435.56	1018.79	401.26	1241.15	3631.13
स्वीकृत पैराग्राफ	31.12.20 सं.	213	237	269	216	183	1118
	तक राशि	510.17	384.78	548.56	200.39	504.01	2147.91
प्रभावी वसूली	31.12.20 सं.	139	178	160	116	107	700
	तक राशि	83.27	110.97	372.15	58.37	43.24	668.00

मंत्रालय ने ₹ 2,147.91 करोड़ के 1,118 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और 700 पैराग्राफों में ₹ 668.00 करोड़ की वसूली की।

2.6.1 इस प्रतिवेदन में शामिल लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर मंत्रालय की प्रतिक्रिया

जैसा कि पहले कहा गया था कि हमने इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने से पहले टिप्पणी के लिए मंत्रालय को महत्वपूर्ण अभ्युक्तियां जारी की थी। हमने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने से पूर्व उन्हें जारी किये गये मामलो पर उनकी टिप्पणी प्राप्त करने के लिए मंत्रालय को छः सप्ताह का समय दिया। हमने वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में ₹ 1,241.15 करोड़ के मौद्रिक प्रभाव वाले 289 ड्राफ्ट पैराग्राफों को शामिल किया। मंत्रालय ने ₹ 504.01 करोड़ के मौद्रिक प्रभाव वाले 183 ड्राफ्ट पैराग्राफों को स्वीकार किया। 84 ड्राफ्ट पैराग्राफों के विषय में मंत्रालय का जवाब प्रतिक्षित है।

हमने, जीएसटीएन की आईटी लेखापरीक्षा और “एससीएन और अधिनिर्णयन प्रक्रिया” पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा पर दो ड्राफ्ट पैराग्राफ जारी किए।

उपरोक्त के अतिरिक्त, हमने अप्रत्यक्ष कर प्रशासन, जीएसटी के तहत अनुपालन सत्यापन तंत्र, जीएसटी के तहत राजस्व ट्रेंड, और जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर से संबंधित पांच ड्राफ्ट पैराग्राफ जारी किए। मंत्रालय ने चार ड्राफ्ट पैराग्राफों पर जवाब दिया। एक ड्राफ्ट पैराग्राफों के संबंध में जवाब प्रतिक्षित है।